<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2024 निगरानी ग्राम पंचायत

1. मदनमोहन पुत्र धूजीलाल
2. रामावतार उर्फ रामअवतार पुत्र धूजीलाल
3. संतोष पुत्र धूजीलाल
   समस्त जाति जांगिड निवासी जांगिड मौहल्ला रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. गौरव पुत्र रामदयाल
2. प्रभा पत्नि रामदयाल
3. आशु पुत्री रामदयाल
4. शकुन्तला पत्नि किशनलाल
5. देवेन्द्र पुत्र किशनलाल
6. सुनिल पुत्र किशनलाल
7. पिन्टु पुत्र किशनलाल
   समस्त जाति जांगिड निवासी जांगिड मौहल्ला रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।
8. दिनेश पुत्र रामसहाय जाति जांगिड निवासी ग्राम रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।
9. ग्राम पंचायत रामगढ तहसील महवा जिला दौसा जरिये सचिव ग्राम पंचायत रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।
10. कृष्णगोपाल पुत्र जगदीश जाति जांगिड निवासी जांगिड मौहल्ला रामगढ तहसील महवा जिला दौसा (प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट)

<u>गैरनिगरानीकर्तागण</u>

(निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम 1994 विरूद्ध दिये जाने पट्‌टा रामदयाल, किशनलाल, दिनेशचन्द जांगिड स्व. रामसहाय जांगिड निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा रसीद संख्या 79 दिनांक 25.01.1998 वर्ष 1997–98 कथित पट्‌टा क्रमांक 90/20–12–1997)

उपस्थिति :श्री वरूण नागर अधिवक्ता निगरानीकारान उपस्थित।
:श्री राजेन्द्र जांगिड अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 लगा. 8 उपस्थित।
:श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 9 उपस्थित।
:श्री अतुल नागर अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 10 उपस्थित।

:-निर्णय:- दिनांक: 02.05.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार [illegible] निगरानीकर्तागण की एक पुश्तैनी गुवाडी जांगिड मौहल्ला रामगढ तह[illegible] है, जिसमे उनके पूर्वजो के जमाने से खाम मकानात व खतवार सैकडो वर्षो से नि[illegible] थे। निगरानीकर्तागण के पूर्वजो की खाम गुवाडी एवं खतवार को इस निगरानी के साथ संलग्न किये गये नक्शे में हरूफ [illegible] बी सी डी ई एफ जी एच आई से दर्शाया गया है। निगरानीक[illegible]ण के पूर्वजो के जमाने [illegible] खाम गुवाडी व खतवार में निगरानीकर्तागण के पूर्वज व पूर्वजो के साथ निगरानीकर्तागण रिहायश करते, उठते बैठते, लकडी का कार्य करते चले आ रहे थे जिसमे नजरी नक्शे में हरूफ बी सी डी ई एफ भाग से दर्शाये गये हिस्से में निगरानीकर्तागण के पूर्वजो की खाम गुवाडी एवं रिहायश थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा निगरानी के संलग्न नक्शे में हरूफ बी एफ जी एच आई ए से दर्शित जगह पर निगरानीकर्तागण व उनके पूर्वज लकडी का कार्य करते थे व उनका कारखाना था। निगरानीकर्तागण के पिता व उनके चाचा धूजीलाल व जगदीश दो भाई थे जो साथ रहा करते थे व तीसरा भाई बृजमोहन अलग रहता था बाद में धूजीलाल व जगदीश भी अलग–अलग हो गये एवं उक्त गुवाडी व खतवार का बंटवारा कर लिया, जिसमे निगरानी के संलग्न नक्शे में हरूफ एच आई एफ जी से दर्शाया गया भाग जगदीश जी के हिस्से में आ गया जिनके पुत्र कृष्णगोपाल को इस निगरानी में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है एवं वह उक्त जगदीश जी के हिस्से पर काबिज है व उक्त हिस्से को इस्तेमाल में ले रहे है। निगरानी के संलग्न नक्शे में हरूफ ए बी सी डी ई एफ जी आई से दर्शाया गया भाग स्व0 धूजीलाल के हक व हिस्से में आया, जिसमे निगरानीकर्तागण निवास करते है तथा उपयोग उपभोग में लेकर लाभान्वित होते है। निगरानी के संलग्न नक्शे में हरूफ आई ए बी एफ आई से दर्शाया गया भाग निगरानीकर्तागण ने अपने आवागमन हेतु निजी तौर पर रख लिया व शेष भाग में रिहायश व उठने बैठने हेतु पुख्ता व खाम मकानात बना लिये। हरूफ आई ए बी एफ आई से दर्शाया स्थल करीब 8 फीट चौडा है, जिसमे होकर निगरानीकर्तागण हरूफ बी सी डी ई एफ में आते जाते है व हरूफ आई ए बी एफ आई को उपयोग उपभोग में लेते है। हरूफ आई ए बी एफ निगरानीकर्तागण का निजी रास्ता है जो उन्होने अपनी स्वयं की भूमि में से आने जाने के लिये छोडा है। इस रास्तो से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 9 का कोई सम्बन्ध, वास्ता नहीं है लेकिन रेस्पोडेन्ट दिनेश चन्द पुत्र रामसहाय व मृतक रामदयाल, किशनलाल पिसरान रामसहाय ने तत्कालीन सरपंच से साजिश करके बिना किसी दस्तावेज के व बिना किसी वजूद के पट्टे के प्रफोर्मे पर एक फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिया एवं उक्त फर्जी पट्टे की फोटो कॉपी को न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय महवा जिला दौसा के यहां वाद उनवानी मदनमोहन बनाम दिनेशचन्द में दिनांक 13.12.2021 को पेश कर दिया एवं उक्त तीनो व्यक्तियों ने हरूफ ए आई बी एफ स्थल को अपनी भूमि बताते हुये अवैध रूप से उक्त फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिया है जिसे फर्जकारी से सन 1997–98 दिनांक 25.01.98 में जारी होना बताया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

निगरानी न्यायालय में पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति महवा से प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड निजी आय की रोकड बही पृष्ठ संख्या 1 से 28 तक, वर्ष 1997–98 का रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1997–98 पृष्ठ संख्या 1 से 28 तक का रिकॉर्ड भिजवाया गया एवं अन्य रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं होना अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति महवा का कथित पट्टा वर्ष 1997–98 दिनांक 25.01.98 जो रसीद संख्या 79 पर जारी होना बताया गया है वह विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति महवा में उक्त कथित पट्टा जो 1997–98 दिनांक 25.01.98 रसीद संख्या 79 पर जारी होना बताया गया है ग्राम पंचायत मे पट्टे से सम्बन्धित रिकार्ड मौजूद नहीं है एवं उक्त पट्टा तीनो ही व्यक्ति रामदयाल, किशनलाल व दिनेश चन्द ने [illegible] प्राप्त किया है। कथित पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्तागण को किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया जबकि हरूफ ए आई बी एफ स्थल निगरानीकर्तागण का निजी स्थल है जो इन्होने अपने मकान हरूफ बी सी डी ई एफ में आने जाने के लिये छोडा है कानूनन उक्त स्थल का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं था लेकिन ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पट्टा जारी किया है। जब कोई पट्टा जारी किया जाता है तो उसके लिये पहले आवेदन लिया जाता है उसके बाद पंचो की रिपोर्ट ली जाती है व पंचो की रिपोर्ट के बाद मौका निरीक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होकर पट्टा दिया जा सकता है। राज. पंचायत अधिनियम के नियम 146 में स्थल निरीक्षण का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा इसी नियम की धारा 156 में आपसी बातचीत से भूमि विक्रय करने का प्रावधान है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दोनो ही तथ्यों को नजरअंदाज कर रामदयाल किशनलाल दिनेशचन्द के हक में पट्टा जारी करने की गलती की है। राजस्थान पंचायती राज नियम में साधारणतया कोई भी भूमि पट्टे पर दी जाती है तो उसके लिये नीलामी की प्रक्रिया दी गई है और उसके लिये नियम 140 से लेकर 161 तक के नियम बने हुये है लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त नियमो को अनदेखा कर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने उक्त कथित फर्जी पट्टे में पूर्व दिशा की और कथित गली शब्द जोडकर एक अनावश्यक विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि निगरानीकर्ता की जो निजी भूमि है उसमे गैर निगरानीकार अनावश्यक प्रदूषण व गंदगी पैदा करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। उक्त कथित पट्टे की आड में गैर निगरानीकारान निगरानीकर्तागण को हैरान परेशान करना चाहते है। न्यायालय में जब दावा पेश हुआ तो वहां रेस्पोडेन्ट दिनेश चन्द ने उक्त पट्टे की फोटोकॉपी दिनांक 13.12.2021 को पेश की, इस पर निगरानीकर्तागण ने दिनांक 14.12.2021 को सूचना प्राप्ति के लिये आवेदन ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत रामगढ तहसील महवा को दिये, जिस पर दिनांक 16.12.2021 को पत्र क्रमांक 2021–22 एस पी एल 2 व एस पी एल 1 के द्वारा निगरानीकर्तागण को यह सूचना भिजवाई गई कि ग्राम पंचायत में पट्टे से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत में पट्टे से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। ग्राम पंचायत की रोकड बही वर्ष 1997–98 दिनांक 25.01.98 रसीद संख्या 79 जमा राशि 194 नजराना जमा दर्ज पाई गई है। इसके बाद निगरानीकर्तागण ने उक्त पट्टे को प्राप्त करने लिये अन्य प्रयास भी किये लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गैरनिगरानीकारान ने निगरानीकर्तागण की निजी रास्ते की भूमि का पट्टा अवैधानिक तौर पर प्राप्त कर लिया है जिससे प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार है एवं धारा 96 जा. दी. के तहत एग्रीव्ड पर्सन होने के कारण उक्त पट्टे के विरूद्ध निगरानी पेश करने का अधिकारी है। जिसके लिये धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है। निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति महवा द्वारा जारी पट्टा जो रोकड बही संख्या 79 क्रमांक 90/20–12–97 दिनांक 25.01.98 को जारी करना बताया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगा. 8 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त निगरानी असत्य, मनगढन्त एवं झूंठे तथ्यों को अंकित कर पेश की गई है। कथित पट्टा ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये गैर निगरानीकर्तागण 1 लगायत 7 के पूर्वजों को व गैर निगरानीकर्ता संख्या 8 के नाम सही जारी किया गया है। जिस स्थान/भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया है उक्त स्थान/भूमि का उपयोग गैरनिगरानीकर्तागण अपने पूर्वजो के समय से करते चले आ रहे है। निगरानीकर्तागण का पट्टाशुदा स्थान/भूमि से कोई लेना देना नही है ना कोई वास्ता है। गैर निगरानीकर्तागण के हक में विधिक प्रक्रिया अपनाकर ग्राम पंचायत में नजराना राशि जमा कर उक्त पट्टा विधिवत रूप से जारी किया गया है। दिनांक 25.01.1998 रोकड बही में सीरियल नम्बर 79 पर 194/– रूपये जमा राशि नाम का इन्द्राज भी है। कथित पट्टे की भूमि ना तो निगरानीकर्तागण के निजी रास्ते की भूमि है और ना ही निगरानीकर्तागण का उक्त पट्टाशुदा भूमि से कोई वास्ता नहीं होने से निगरानीकर्तागण प्रभावित पक्षकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे की भूमि का पूर्व अवलोकन एवं मौका मुआयना करके नजराना राशि जमा की है। उक्त पट्टे पर ग्राम पंचायत सहित ग्राम सरपंच एवं सरपंच के हस्ताक्षर एवं सील मोहर से पट्टेशुदा भूमि की चतुर्थ सीमाओं का अंकन कर पट्टा विधिवत रूप से जारी किया गया है। उक्त पट्टे की भूमि का पूर्वजो के समय से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 25–26 वर्ष पूर्व जारी किया गया है। निगरानी 26 वर्ष बाद पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2023.06.30 11:03:36 IST
Reason: Self Attested

मौका कमिश्नर द्वारा जो नक्शा बनाया गया है उसी के अनुसार आज हम काबिज है। पट्टे पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर है। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी निगरानीकर्तागण को है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचो की रिपोर्ट, मौका निरीक्षण तथा पट्टेशुदा भूमि के पडोसियों से पूर्ण पूछताछ करके जारी किया है। गैर निगरानीकर्तागण की भूमि होने के कारण ग्राम पंचायत रामगढ को पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था। अतः निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रश्नगत पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्राम पंचायत रामगढ से प्राप्त कार्यवाही रजिस्टर में भी प्रश्नगत पट्टा दिये जाने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव लिया जाना नहीं पाया गया है। केवल मात्र ग्राम पंचायत से प्राप्त रोकड बही में दिनांक 25.01.1998 को सीरियल नम्बर 79 पर 194/– रूपये नजराना राशि जमा कराने का इन्द्राज है। प्रश्नगत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही किया जाना प्रकट नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा क्रमांक 90/20–12–1997 बहक रामदयाल, किशनलाल, दिनेशचन्द जांगिड वल्द स्व. रामसहाय जांगिड निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा जारी दिनांक 25.01.1998 को प्रभावशून्य किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति महवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टा भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच कर एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई व आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर विधि अनुरूप कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति महवा से प्राप्त मूल रिकॉर्ड रजिस्टर वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested